

(280)

(281)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 1335/ वाद सं० आर-1548/एस-04/2023,

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

दिनांक: 07/07/2026

महोदय,

विपक्षी श्रीमती अनुराधा सिंह, पत्नी श्री मुन्ना कुमार राजीव यादव व श्रीमती पुनम झिंगवान प्रेमजीत सिंह, निवासी-कृष्णा कॉलोनी डालनवाला (कोरोनेशन अस्पताल के पीछे वाली गली) देहरादून, द्वारा स्थल पर लगभग 40 गुणा 50 फिट क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल पर सैट-बैंक प्रभावित करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद सं० आर-1548/एस-04/2023 योजित किया गया है। उक्त चालान शुदा निर्माण को दिनांक 28.5.2026 सील किया जाना था, नियत तिथि पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण सीलिंग कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसी दौरान श्रीमती अनुराधा सिंह, पत्नी श्री मुन्ना कुमार राजीव यादव व श्रीमती पुनम झिंगवान प्रेमजीत सिंह मा० न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल में योजित अपील संख्या 93/2025-26 में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.26 को सुनवाई उपरान्त आदेश पारित किया गया कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र का निस्तारण इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड भवन निर्माण उपविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित करे तब तक मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विवादित सम्पत्ती पर पूर्णतः यथास्थिति बनी रहेगी। अपीलार्थी को इस अवधि में स्थल पर कोई भी नया निर्माण, विस्तार आंतरिक या बाहरी फिनिशिंग का कार्य से पूर्णतः निषिद्ध किया जाता है। प्राधिकरण शमन मानचित्र के विधिक व तकनीकी परिक्षण के दौरान यह निर्धारित करेगा की निर्माण का कौन सा भाग उपविधियों के अनुसार शमन योग्य है और कौन सा भाग अशमनीय की श्रेणियों में आता है। प्राधिकरण शमनीय भाग को शमन करे तथा अशमन निर्माण के विरुद्ध पूर्व में पारित सीलिंग आदेश दिनांक 21.08.2024 के क्रम में कार्यवाही अविलम्ब निष्पादित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

अतः उक्तानुसार मा० न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल के द्वारा पारित आदेश व श्री जगदीश कुमार सिंह, हरेन्द्र कुमार सिंह व प्रेमजीत सिंह, द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त प्रश्नगत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13/7/26 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/ विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. थानाध्यक्ष डालनवाला को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभि०/अव० अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. विपक्षी श्रीमती अनुराधा सिंह, पत्नी श्री मुन्ना कुमार राजीव यादव व श्रीमती पुनम झिंगवान प्रेमजीत सिंह, निवासी-कृष्णा कॉलोनी डालनवाला (कोरोनेशन अस्पताल के पीछे वाली गली) देहरादून, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण को दिनांक 13/7/26 को सील किया जाना है। विपक्षी नियत तिथि पर स्थल पर उपस्थित रहकर सीलिंग की कार्यवाही सम्पादन करवायें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र सं० 0720 दिनांक 19.5.2026 के अनुसार मान्य होगी।

पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।